115

न्यायालय मान्नीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी R 592-I-17 सन्

01 बैजनाथ तनय श्री सूरा पाल
निवासी बसारी तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0

02. राकेश उर्फ विहारी तनय श्री हरदास पटेल

03. बद्री प्रसाद तनय श्री हरदास पटेल
निवासी ग्राम बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0

...........निगरानीकर्ता

बनाम

01. राज्य शासन म0प्र0

02. बृजलाल तनय श्री छिदामा अहिरवार
निवासी ग्राम बसारी तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0

03. हरलाल तनय श्री भर्रा पटेल

04. मंगलीन तनय श्री भर्रा पटेल
निवासीगण ग्राम बसारी तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 ....गैरनिगरानीकर्तागण

05 एन॰टी॰पी॰सी॰ परियोजना बरेठी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 विरूद्ध नायब तहसीलदार मण्डल बसारी द्वारा रा0प्र0कं0 58/अ–3/14–15 मे पारित आदेश दिनांक 09.06.2015

महोदय,

निगरानीकर्तागण सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते है–

01. यह कि भूमि खसरा नं0 1316/4 व खसरा नं0 1614/2 स्थित ग्राम बसारी तहसील राजनगर की आराजी है जिसके मालिक अधिपत्यधारी निगरानीकर्तागण है। उक्त दोनो भूमियॉ इस निगरानी में विवादित है जो विवादित भूमि के रूप में संसोधित की जावेगीं।

02. यह कि उक्त भूमियों का राजस्व अभिलेख में खसरा में तरमीम नही किया गया है न ही किसी पक्षकार द्वारा तरमीमें बावत कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के मौखिक निर्देशानुसार वादग्रस्त भूमि की तरममी कब्जा के विपरीत राजस्व निरीक्षक द्वारा की गयी तथा किसी भी संबंधित सहखातेदार या खातेदार को तरमीम के दौरान नोटिस जारी नही किया गया है मन माने तौर पर पिछली तारीखो में आदेश विधि के विरूद्व किया है जिसकी जानकारी निगरानीकर्तागण को नही रही दिनांक 09.01.2017 को जब आवेदक द्वारा पटवारी के नक्शा ट्रेश की

क्रमशः//2//

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 592-एक/2017 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ता.
8-2-17	यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 58 अ-3/2014- 15 में पारित आदेश दिनॉक 9-6-2015 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनॉक 7-2-2017 को प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों , अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के तथ्यों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ नायव तहसीलदार वृत्त बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 58 अ-3/2014- 15 में पारित आदेश दिनॉक 9-6-2015 के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार ने ललितपुर - सिंगरोली रेल परियोजना हेतु अधिग्रहीत होने वाली भूमि स्थित ग्राम बसारी के विभिन्न सर्वे नंबरों को प्रस्तावित रेल्वे लायन डाले जाने हेतु राजस्व निरीक्षक के दल से स्थल निरीक्षण एंव पैमायश कराकर सीमांकित करते हुये नक्शा तरमीम किया है जो अनुविभागीय अधिकारी ने भू अधिग्रहण के उद्वेश्य से मॉगा है । स्पष्ट है कि आवेदकगण को भूमि अधिग्रहण के समय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत का समुचित अवसर प्राप्त है। 4/ वाद विचारित भूमियॉ भारत सरकार के रेल मंत्रालय के प्रयोग के लिये सार्वजनिक हित में अधिग्रहीत होना है । इसके अतिरिक्त	

नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 9-6-15 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत है , जिसके विरूद्व प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का भी आवेदकगण को उपचार प्राप्त है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी राजस्व मण्डल में प्रचलन योग्य न पाये जाने से इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है। आवेदकगण चाहें तब इस आदेश की प्रति लेकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 15 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

सदस्य